

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमूं

2024/189

बाबूलाल बनाम कानाराम वगै०

मुकदमा नम्बर :- 74/2024

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	28.08.2024	<p>प्रार्थी के अधिवक्ता ने टी0आई0 प्रार्थना पत्र पेश किया। रिपोर्ट हो चुकी है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। बहस में वकील प्रार्थी ने अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। रिकॉर्ड व दस्तावेजात के अवलोकन से पत्रावली में गुवावगुण पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होता है अतः प्रार्थी की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तलबी आगामी पेशी दिनांक 09.09.2024 को पेश हो।</p> <p>9/9/24          प्र. अग्रिम ऑफिसर दूर/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक.....19/9/24 को पेश हो</p> <p>19/9/24 व. प्रार्थी द्वारा पत्रावली करवाकर तलबी में खारिज आगामी दिनांक 23/9/24 को पेश हो</p> <p>23/9/24 पत्रावली पेश हुई। न्यायालय को पत्रावली प्राप्त होने के तब तक वकील प्रार्थी के बार-बार आवान डिलायी गयी। वकील प्रार्थी असमर्थ व असमर्थ अनुपस्थित है अतः पत्रावली अग्रिम अग्रिम पेशी में खारिज की जाती है। पत्रावली दर्ज नो. 74/24 में खारिज आगामी दिनांक 23/9/24 को पेश हो</p>	विशेष विवरण

सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)